जलाधिकार : जल - एक जीवनतत्व

(शोध-पत्र)

जलाधिकार

जल,
वायु,
अग्नि, आकाश
और पृथ्वी ये जीवन
के पाँच मूल तत्व हैं। ये
प्रकृति ने हम सभी को समान
एवं निर्बाध रुप से प्रदत्त किये हैं।
पानी मनुष्य के अस्तित्व के लिए
आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण तत्व के
स्वामित्व के प्रश्न पर मानवता का भविष्य
टिका हुआ है। पानी के प्रबंधन एवं वितरण के
व्यवसायीकरण के साथ ही यह मुद्दा और जटिल हो
गया है। निःशुल्क, साफ एवं सुरक्षित पेयजल के
अधिकार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करने में
सरकारी असफलता भी एक महत्वपूर्ण चिंता का
विषय है। दूसरी तरफ हम सभी लोगों की
लापरवाही के कारण बड़े पैमाने पर इस
संसाधन के संरक्षण एवं संवर्द्धन
का ह्रास हो रहा है।

Jaladhikar

(A project of Center for Social Justice and Democracy, CSJD)

40, 1st Floor, Hanuman Lane
Behind Hanuman Mandir Police Station
New Delhi- 110001

B-103, Sector-15, Noida - 201301

gopalagarwal@hotmail.com, godukakc@gmail.com
Website : www.jaladhikar.in

जलाधिकार की महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ

जलाधिकार : जल – एक जीवनतत्व
(शोध-पत्र)

मूल अंग्रेजी लेखक :
गोपाल कृष्ण अग्रवाल
कैलाश गौदुका
संभ्रांत कृष्ण

अनुवाद :
गोपाल कृष्ण अग्रवाल
सुधीर गहलोत

आभारोक्ति :

पिछले कुछ महिनों से हम इस महत्वपूर्ण तत्व से संबंधित समस्याओं को समझने का प्रयास करते हुए, कई हितधारकों से संपर्क के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बिना उनके सक्रिय प्रोत्साहन एवं रचनात्मक मार्गदर्शन के इस परिपत्र का प्रकाशन संभव नहीं होता। इसके लिए हम सभी सहयोगियों के हृदय से आभारी हैं।

जल प्राणी मात्र से जुड़ा है। अतः हम सभी वर्गों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं से स्वयं को परिचित कराते हुए, इसके वास्तविक स्वरुप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन सभी सहभागियों के आभारी हैं जिन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस मसौदा–पत्र की परिचर्चा में भाग लिया। इस पुस्तिका के परिशिष्ट में उनके नाम ससम्मान उल्लेखित हैं। विशेषतया सर्वश्री अवधेश उपाध्याय, प्रकाश गौड़, मनोज मित्तल एवं दीवान सिंह, जिन्होंने हमें शोध के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए। हम उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने जलाधिकार द्वारा अभी तक आयोजित सभी कार्यक्रमों में सहयोगी एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। सभी कार्यकारी सदस्य और स्वयंसेवक भी विशेष आभार के पात्र हैं, जिनका निरंतर सहयोग इस अभियान को सफल बनाने में रहा है।

जलाधिकार
A Project of Center for Social Justice and Democracy (CSJD)
दिल्ली कार्यालय : 40, प्रथम तल, हनुमान लेन,
हनुमान मंदिर थाना के पीछे, नई दिल्ली–110001
नोएडा कार्यालय : बी–103, सेक्टर–15, नोएडा – 201301 (उ.प्र.)
gopalagarwal@hotmail.com, godukakc@gmail.com Website : www.jaladhikar.in

विषय–वस्तु

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना : गोपाल कृष्ण अग्रवाल	3
2	मूल संदेश : स्वामी चिदानंद सरस्वती	5
3	अध्याय I : जल जीवन का अधिकार	7
4	अध्याय II : जल का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण	9
5	अध्याय III : पानी की कमी को पूरा करने की रणनीति *परिरक्षण एवं संरक्षण : सबकी जिम्मेदारी*	14
6	अध्याय IV : राष्ट्रीय जल नीति – आलोचनात्मक विश्लेषण	19
7	अध्याय V : हमारी मांगें	22
8	संदर्भ	23
9	परिशिष्ट	24
	• तालिका	24
	• जल पर मसौदा–पत्र के लिए हुई परिचर्चा में शामिल सहभागी	26
	• दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपि	27
	• पत्र के उत्तर की प्रतिलिपी	29
	• नोएडा में आयोजित जल–अदालत में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की उपस्थिति में सर्वसम्मत पारित ज्ञापन की प्रतिलिपी	30
	• दिल्ली में पानी का निजीकरण : आंतरिक कहानी (PPT)	32
10	जलाधिकर अभियान के लिए विरचित	35
	जलगीत 1 : डॉ. श्रीमती निर्मला गुप्ता	35
	जलगीत 2 : श्री नरेश शांडिल्य	36
	जलगीत 3 : श्री अनिल जोशी	37
11	कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी	38
12	शपथ–पत्र	43
13	प्रस्ताव	44

© Jaladhikar.
Any portion can be reproduced for non-commercial Purposes - Acknowledging the source.

Disclaimer :

Published for Centre for Social Justice and Democracy (CSJD). The views expressed in the documents are the opinion of the authors. We have tried to be comprehensive with regards to references wherever possible and have mentioned them thereof.

Voluntary Contribution : Rs. 100/-

प्रस्तावना

वर्तमान भारत दुविधा की स्थिति में है। पाश्चात्य सोच हम पर हावी हो रही है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि हम ये मान लें कि आर्थिक चिंतन और विकास के उपाय कुछ तथाकथित अवधारणाओं एवं मान्यताओं पर आधारित है, जो कि अकाट्य है, और इसमें किसी भी प्रकार के दूसरे विचारों का समावेश नहीं हो सकता।

लेकिन तथ्य यह है कि आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत या पैमाना ही समीक्षा का मुख्य विषय है। भौतिकवादी संसार के अलावा मानव अस्तित्व के अध्यात्मिक आयाम भी हैं। हमारे सभी कार्य बिना किसी व्यक्तिपरक विचारों के हस्तक्षेप के प्राकृतिक नियमों के अनुरुप हों, तभी सामाजिक समरसता एवं शांति सम्भव हो सकती है। प्रायः व्यक्तिवादी संकुचित विचार, विश्वबंधुत्व के लिए विघटनकारी साबित होते हैं।

भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है। इस समय लिया गया प्रत्येक निर्णय भारत के भविष्य पर प्रभाव डालेगा और साथ ही हर भारतीय निर्णय, मानवीय भविष्य पर वृहद प्रभाव डालेगा। भारत में मानव–दर्शन के रुप में दर्शनशास्त्र की जड़ें गहरी हैं। व्यक्ति प्रकृति का शोषक नहीं माना जाता है बल्कि व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भरता एक–दूसरे के पूरक के रुप में तत्कालिक आवश्यकता के रुप में है और मनुष्य को सिर्फ उसका यथोचित उपयोग का ही अधिकार है।

हम विश्वास करते हैं कि विश्व 'पंचतत्त्व' नामक मूल तत्त्वों से बना है, जो की प्रकृति द्वारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। इन तत्त्वों का संरक्षण एवं शुद्धता बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। प्रकृति के शोषण के साथ–साथ ही इसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ता जाएगा। जिसका परिणाम पारिस्थिकी असंतुलन और संपूर्ण जीवन के विनाश के रुप में होगा।

इन पांचों तत्त्वों में से किसी भी तत्व के निजीकरण और व्यवसायीकरण की अवधारणा मानवीय हित में नहीं है। इस तरह कोई ऐसी अवधारणा जो मानवीय हित में नहीं है, वो किसी भी राष्ट्र के लिए हितकर कैसे हो सकती है?

हमने न्यायालय और सरकार सहित विभिन्न हितधारकों से अपनी परिचर्चा और विवेचनाओं की श्रृंखला में पाया कि इस मुद्दे पर लोगों की धारणा एक समान है। फिर भी कार्यान्वयन के स्तर पर

पूरी तरह विचलन है। इस संसाधन के संरक्षण के नाम पर आज सरकार की सभी कार्रवाईयां जल को निजी संपति बनाने और इसके वस्तु के रुप में व्यवसायीकरण की ओर इंगित करती हैं। और यह सब वितरण एवं रखरखाव के नाम पर निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पब्लिक–प्राईवेट पार्टनरशिप) के तहत हो रहा है। नीति–निर्माताओं की यह दुविधा चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, जांच का विषय है और इसे सब के सामने लाया जाना चाहिए।

वर्तमान में हमारे सामने समाज में दो वर्ग हैं – एक धनाढ्य एवं शक्तिशाली वर्ग, जिनका नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन के हर आयाम में प्रभुत्व है। ये सब कुछ वहन कर सकते हैं। उनके लिए कीमत से अधिक उसकी उपलब्धता महत्वपूर्ण है। उनके दृष्टिकोण में दुर्लभता और व्यवसायीकरण के द्वारा संपत्ति का उपार्जन एवं संकलन संभव है। यद्यपि हम यह विश्वास करते हैं कि निजी स्वामित्व, संपत्ति–उपार्जन और उद्यमिता का सबसे बड़ा प्रेरक है। लेकिन हमारी प्राथमिक चिंता आम लोग हैं, जो शोषण एवं विध्वंस के ऐतिहासिक बवंडर में लिपटे होने के कारण इस दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं।

समाज का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र और संपत्ति के आधार के सभी वर्गों के लिए समान हितकर हो। कोई भी जनकल्याणकारी सरकार देश के सारे नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए अपने कर्तव्य के आधार पर बाध्य है। यह कर्तव्य प्रभुत्वसंपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र के लोगों द्वारा स्वीकार किये गए संविधान के द्वारा उस पर सौंपा गया है।

इस विषय पर स्वस्थ बहस द्वारा इसके सभी आयामों को प्रदर्शित करने के लिए जलाधिकार ने परिचर्चा, सेमिनार, जनजागरुकता अभियान और पदयात्रा जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मैं अपने चिंतक मित्रों एवं सहयोगियों के साथ यह आशा करता हूं कि हम लोग भी इस समान निष्कर्ष पर ही पहुंचेंगे, जो इस पुस्तिका के अंत में प्रस्ताव के रुप में जलाधिकार ने स्वीकार किए भी हैं और इस दस्तावेज के अधिकतम हिस्से से सहमत होंगे। हम लोगों ने कड़ी मेहनत से सबके हित के लिए इसमें श्रेष्ठ विचारों को सम्मिलित किया है।

पिछले कुछ दिनों के सिविल सोसाईटी अभियान के मनोभावों को एक संकेतक के रुप में देखें तो आम आदमी की आकांक्षाओं को बलपूर्वक दबाना, अशांति का कारण बनेगा। शुरूआती दिनों से ही मैं इन सभी अभियानों में बहुत नजदीक से जुड़ा रहा हूं और मेरा यह अनुभव रहा है कि सत्ताधारी वर्ग आम आदमी के किसी भी दृष्टिकोण के प्रति गंभीर नहीं है। इस देश में सभी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था इस परिस्थिति से भलीभांति परिचित है।

किसी भी अभियान के सफल होने के लिए बौद्धिकता और जमीनी स्तर का दृढ़ संकल्प जरुरी है। और हमारे अभियान में व्याप्त इन दोनों गुणों के कारण, हम उम्मीद करते हैं कि देश के विकास के लिए सही माहौल बनाने में हम सब अवश्य सफल होंगे।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल
अध्यक्ष, जलाधिकार

06 अक्टूबर, 2012

एक बार अमरीकी राष्ट्रपति **जॉन एफ. कैनेडी** ने कहा था कि **जो व्यक्ति पानी की समस्या का समाधान ढूंढ़ लेगा वो दो नोबेल पुरस्कार के काबिल होगा – पहला शांति और दूसरा विज्ञान के।**

H.H. Pujya Swami Chidanand Saraswatiji
President, Parmarth Niketan

Dear Divine Souls,

Jai Gange!

I am so glad that Jaladhikar, a project of Center for Social Justice and Democracy, is organizing a National Convention on Water. As Mahatma Gandhiji said, "There is always enough to satisfy every man's need, but never enough for one man's greed." This is the case for the water crisis that we are facing today. Over-exploitation and over-extraction of our water resources, one of the most fundamental and vital elements of existence, is not only a sign of man's greed but sas become an act of violence or hinsa onto our environment and all living organisms within it.

India's major rivers the Ganga and the Yamuna are an example of this violence that has been perpetrated by the mismanagement and the greed of a few. In the last fifteen years what we considered the river Yamuna has not had a drop of its original and pristine waters. Ninety-seven percent of Yamuna is diverted from Yamunotri at its very origin! Delhi, on an average, extracts 240 million gallons per day (MGD) from the Yamuna for its fresh water needs, and releases 950 MGD of untreated sewage, rendering the once life-giving river nothing but gutter water. The exploitation, abuse and pollution of our water bodies is by far the most grave concern we face in India today.

The situation of Mother Ganga is also direly grim. The human rights crisis of the polluted waters of the Ganga River have become a growing concern for not only the Indian nation, for whom it is their very national identity, but also for the international community as well. It is common knowledge that the Ganga River feeds one-third of India's population, providing 25% of India's water resources, and irrigates over 40% of the total irrigated land in India. More than 450 million people are dependent upon Her for their very lives and livelihoods.

Parmarth Niketan, P.O. Swargashram, Rishikesh (Himalayas), Uttarakhand -- 249304, India
Phone: 0135-2440088, 2440077 Fax: 0135-2440066, Email: swamiji@parmarth.com

The Ganga basin system is the most populous of any living river system, home to a population that is equivalent to nearly eight of the most populous European countries put together. Clearly the Ganga is the life-blood of India. However, nearly 50% of India's poor live on Her banks and Her polluted waters take nearly one million lives each year due to waterborne illness such as typhoid and diarrhea. It's a grave tragedy that so many innocent and preventable deaths occur every year and we as a nation, as a global family have not been able to come together to find and implement an effective solution.

It is indeed true that in the next few years the biggest challenge will be one of WATER. If we remain divided and split in this challenge then a world water war is not far from sight. But is this the way we wish to proceed and is this the future that we want to hand to the next generation?

Water IS life and a basic human necessity, which goes beyond any creed or caste and is universal. Provision of clean water is a basic human right to which all individuals are entitled. Therefore, it is time now that we must work together as one global family in the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, joining hands as one in this challenge. Maintaining our individual identities, while uniting our strengths, we must walk together and serve together as one Ganga Action Parivar.

It is with great pride that I welcome you to the Ganga Action Parivar. In our Parivar, only Ganga Maiya is the head of the family. There is no hierarchy. We are all sevaks who have joined hands to use our time, energy, experience and efforts in Her divine seva. Join us on www.gangaaction.com to find out the many ways that you can help! It is only by working together that can we address the challenges that face our world and ensure a better, brighter, and greener future for the next generations.

It will be wonderful if you organize your next conference here at Parmarth Niketan in Rishikesh. We can make all the arrangements here at your own Himalayan home. Please know you are always welcome.

My love and blessings are with you for a fruitful conference.

In the Service of God and humanity,

Swami Chidanand Saraswati

जलाधिकार : जल एक जीवन-तत्व
(एक शोध-पत्र)

अध्याय – I
जल : जीवन का अधिकार

जीवन अनमोल है। अनमोल अर्थात् जिसका मूल्य नहीं है, तो फिर जीवन तत्वों का मूल्य कैसा? प्रकाश और हवा की तरह जल भी प्रकृति द्वारा सुलभ रूप से प्राणीमात्र के लिए उपलब्ध कराया गया एक अवयव है। मनुष्य हजारों सालों से इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। ''सारे प्राकृतिक संसाधनों का राज्य न्यासी होता है एवं इस पर अधिकार इसके उपभोग करने वाले (Beneficiary) का ही होता है।'' इसी सिद्धांत पर आधारित है कि कुछ निश्चित संसाधन जैसे हवा, पानी, समुद्र और जंगल, जिनका का प्राणीमात्र के लिए बहुत महत्व है और इसे निजी स्वामित्व में कोई कैसे कर सकता है? यह न्यायसंगत नहीं है। प्रकृति का यह उपहार स्वतंत्र रुप से सबके लिए उपलब्ध है और होना भी चाहिए, बिना किसी सामाजिक विषमता के। यह कानूनी तौर पर सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राणीमात्र के फायदे के लिए इन संसाधनों का बचाव कैसे किया जाये, ताकि इसका किसी तरह व्यवसायीकरण और निजीकरण ना हो सके। जैसा कि एमसी मेहता बनाम कमलनाथ (1997) और केरल हाईकोर्ट ने कोका कोला (16 दिसंबर 2003) मामले में अपना निर्णय दिया है। राज्य के पास यह जिम्मेदारी है कि निश्चित प्रतिबंधों द्वारा पानी (या किसी भी अन्य प्राकृतिक संसाधनों) को आम लोगों से हड़पकर निजी स्वामित्व में जाने से रोके।

पानी की सर्व सुलभता को सारी दुनिया में मौलिक अधिकारों में से एक माना गया है। बिना पानी के अधिकार के अधिकतम देशों में जीवन की सुनिश्चितता के अधिकार को अर्थहीन माना गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार (2000) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "पानी किसी भी आदमी के जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत इसे जीवन के अधिकार एवं मानवाधिकार में सम्मिलित किया गया है।'' वसीम अहमद खान बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2002(5) एएलटी 526) मामले में माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि स्वच्छ पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकार है और नागरिकों को इसकी कमी के आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने वीकेकेएसएस बनाम केरल सरकार मामले में कहा है कि :

''हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिये गये जीवन के मौलिक अधिकार के रुप में उचित मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विफल है और यह मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। इसलिए प्रत्येक सरकार को प्राथमिकता के आधार पर, यहाँ तक कि अन्य विकास कार्यों की कीमत पर भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। इसके

रास्ते में कुछ भी, यहां तक कि पैसे की कमी और अन्य ढ़ांचागत सुविधा भी बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए बिना किसी रुकावट के रास्ते और साधन किसी भी कीमत पर ढूंढ़ने होंगे।''

विश्व में ऐसे अनेक देश हैं जहां संविधान में स्पष्ट रुप से पानी को मौलिक अधिकार के रुप में शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कहता है ''समुचित मात्रा में पानी की उपलब्धता हर नागरिक का अधिकार है।'' इक्वाडोर का संविधान कहता है ''पानी का मानवीय अधिकार बिना किसी समझौते के मान्य होगा।'' सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम एन वेंकटचलैय्या की अध्यक्षता वाले संविधान के कामकाज की समीक्षा वाले राष्ट्रीय आयोग ने 31 मार्च 2002 को पेश की अपने रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि पानी के अधिकार का मौलिक अधिकार में स्पष्ट समावेश हो। आयोग ने अनुच्छेद 30डी को समावेषित किया जो कि इस तरह है –

अनुच्छेद 30 डी – स्वच्छ पेय जल, प्रदूषण से बचाव, पारिस्थितिकी संरक्षण और सतत विकास का अधिकार :

प्रत्येक आदमी को अधिकार है –

(क) स्वच्छ पीने योग्य पानी का

(ख) ऐसे पर्यावरण का जो किसी के सुचारु जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो.....

पानी जीवन का अधिकार है, यह घोषणा व्यर्थ हो जाएगी, अगर सामर्थ्य (सिर्फ उनके लिए जो पानी का भुगतान कर सकते हैं) की बात सामने आती है। यह कहना बेतुका होगा कि राज्य सरकार जीवन के अधिकार के तहत उन्हें ही गारंटी दे, जो इसके लिए भुगतान करे। राज्य के अस्तित्व का संपूर्ण उद्देश्य है कि बिना किसी आर्थिक भेदभाव के सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। वास्तव में जब राज्य ऐसे प्रावधानों को सुनिश्चित करता है तो ही इसके नागरिक अपनी पूर्ण क्षमता को हासिल कर सकते हैं। इसलिए यह स्वीकार किया गया है कि राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को पीने योग्य स्वच्छ पानी निःशुल्क उपलब्ध कराये।

अध्याय – II
जल का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण

पानी को निजी संपत्ति बनाना : किसके हित में ?

सदियों से चली आ रही इस प्रकृति में कभी किसी तानाशाह ने भी ऐसा नहीं सोचा जो अब कुछ समय से पानी और उसके निजीकरण को लेकर सुनने को मिल रहा है। अंततः जब सरकार जल का निजीकरण करने का फैसला करेगी तब अन्य सरकारी नीतियों की तरह इसे भी सार्वजनिक हित में बताया जाएगा। जब पानी का निजीकरण सार्वजनिक हित में है तो इसकी मांग जनता की तरफ से क्यों नहीं सुनाई देती है? राज्य हमेशा जनता के हित में काम करने का दावा करता है लेकिन वह हरदम जनता का अहित ही कर देता है।

पानी के निजीकरण के पक्ष में दलील

उच्च निवेश : पानी की घटिया गुणवत्ता, मात्रा और आपूर्ति के लिए सार्वजनिक उपयोगिताओं की खराब वित्तीय स्थिति को आधार के रुप में उद्धृत किया जाता है। निजीकरण के पक्ष में अक्सर ये दलील दी जाती है कि इस क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार के पास आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी है और संपन्न निजी क्षेत्र आवश्यक निवेश बढ़ाएगा जो पानी की आपूर्ति बढ़ाने और जलापूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करेगा।

सेवा की बेहतर गुणवत्ता : निजीकरण के समर्थकों के अनुसार, निजी क्षेत्र के खिलाड़ी न सिर्फ सेवा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे बल्कि उपभोक्ताओं की जरुरतों के लिए ज्यादा उत्तरदायी होंगे। यह एक कार्यात्मक शिकायत निवारण–तंत्र होगा और शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। यह अव्यैक्तिक, राज्य–स्वामित्व वाली सार्वजनिक उपयोगिता, जो उपभोक्ताओं के जरुरतों के प्रति असंवेदनशील है, के विपरीत होगी।

पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग : निजीकरण के समर्थकों को यह भरोसा भी है कि लोग सामाजिक रुप में जिम्मेदारीपूर्ण ढ़ंग से कार्य नहीं कर सकते। कोई भी चीज जो बिल्कुल मुफ्त या उच्च अनुदान पर उपलब्ध करायी जाती है, वो निश्चित तौर पर बेकार की जाएगी। ऐसे लोगों ने गरीबों के लिए अंतर–अनुदान के साथ अंतरीय (या प्रगतिशील) मूल्य निर्धारण प्रणाली का सुझाव दिया है। इनका तर्क है कि जब पानी की कीमत चुकानी होगी तो लोग इसका सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करेंगे।

पानी के निजीकरण के ख़िलाफ दलील

उच्च निवेश लेकिन कोष की कमी नहीं : प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सरकार को कर देता है। इसलिए लोगों की मूलभूत जरुरतों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त कोष है लेकिन

संकल्पशक्ति की कमी है। सरकार ने पानी को लोगों के जीवन के अधिकार के तहत प्राथमिकता नहीं दी है। यदि सरकार एक बार इसे अपने प्राथमिकता के दायरे में ला दे तो कोष और निवेश की कमी नहीं होगी।

निजी क्षेत्र और कुशलता : निजी क्षेत्र की संभावित कुशलता को पानी के निजीकरण के लिए सबसे सशक्त कारण के रुप में पेश किया जाता है। निजीकरण के अनुमानित कुशलता के परिणाम को आज परमसत्य के रुप में स्वीकार किया गया है। जबकि कुशलता का स्वामित्व के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सरकारी क्षेत्र उतना ही कुशल है जितना निजी क्षेत्र, कई मामलों में उससे बेहतर भी। पानी अपने स्वरुप के कारण एक क्षेत्र के रुप में एकाधिकार का निर्माण करता है। इसलिए निजी क्षेत्र के अनुमानित फायदे तो शायद प्राप्त हो या न हो लेकिन यह ऐसे रुप में सामने आता है जहां पानी की नीलामी पर उच्चतम बोली लगती है।

अभाव की दलील : पानी की उपलब्धता और मांग के आंकड़े (वास्तविक के साथ–साथ अनुमानित भी) देखने पर देश में संपूर्ण स्तर पर पानी की ज्यादा कमी नहीं है। लेकिन विशाल स्थानिक एवं सामयिक उपलब्धता में फर्क के कारण, कुल आंकड़े कुछ गुमराह करते हैं। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि संपूर्ण देश में पानी का इतना अभाव नहीं है जितना कि आंकड़ों एवं तथ्यों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। जबकि केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार अनुमानित उपयोगी जल संसाधन 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अगर हम सन 2025 की अनुमानित मांग की तरफ देखें तो जल संसाधन मंत्रालय के स्टैंडिग उप–समिति ने जल की अनुमानित मांग 1093 बिलियन क्यूबिक मीटर रखा है। समेकित जल संसाधन विकास पर केन्द्रीय आयोग (NCIWRD) ने निम्न मांग की श्रेणी में वर्ष 2050 के लिए पानी की मांग को 973 बिलियन क्यूबिक मीटर और उच्च मांग की स्थिति में 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित किया है।

पूर्ण लागत वसूली : पूर्ण लागत वसूली को होली–ग्रेल के रुप में पदोन्नत किया जा रहा है। इसमें इतनी पवित्रता क्या है कि निजीकरण के वफादारों ने अपनी बहस में इसको अपने आप में लक्ष्य मान लिया है? आर्थिक रुप से सुदृढ़ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भी सरकार की तरफ से बजटीय सहायता की जरुरत नहीं होती है, जो कि राज्य कहीं अन्यत्र खर्च कर सकता है। फिर ऐसी क्या प्राथमिकताएं हैं कि पानी की आपूर्ति पर हो सकने वाले खर्च को कहीं और भेजा जाय? यह सिर्फ तब ही होगा जब मानव की प्राथमिक जरुरतें (रोटी, कपड़ा और मकान) पूरी हों। पूर्ण लागत वसूली की अवधारणा का कोई मतलब नहीं, जब तक कि ऐसी जरुरतें पूर्ण न हों।

पूर्ण लागत वसूली न सिर्फ अवांछनीय है बल्कि काफी अस्पष्ट भी है। यह परिभाषित नहीं हो सकता। एक निजी जल वितरण कंपनी अपने कर्मचारी को संभवतः मारुति 800 उपलब्ध कराती है और इस लागत को खर्च में जोड़ती है या शायद उसे मर्सिडीज उपलब्ध कराने का निर्णय लेती है। यह सिर्फ सैद्धांतिक संभावना नहीं है। निजी कंपनियां अपने निवेश के हित के लिए सरकार के वास्तविक अंश से इंकार करने के लिए जानी जाती है। यह मूल्य लागत ऑपरेटर की कुशलता पर भी निर्भर करता है। इसमें एक गारंटीपूर्ण लागत वसूली, संचालन कौशल के प्रोत्साहन को दूर ले जाएगा, जबकि मुनाफे की हमेशा गारंटी होगी।

जल निजीकरण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान

आजादी के छह दशक बाद भी भारत सरकार अपने नागरिकों की मूलभूत जरुरतों को उपलब्ध कराने में असफल रही है। इन मूलभूत जरुरतों को निम्नतम समय में पूरा करने में असफल सरकार इस दिशा में समग्र प्रयास के बजाय खुले बाजार के द्वारा सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की दलील दे रही है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन आदि, भारत जैसे विकासशील देशों में इस बाजार प्रणाली को रामबाण के रुप में प्रचारित कर रही हैं। वर्ष 1990 के शुरूआती दिनों में समायोजित ढ़ांचागत नीतियां ने उन्हें भारत में पैर जमाने का अवसर दे दिया। आज ये संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नये बाजार की तलाश में अपने छिपे एजेंडे को लागू करने के लिए नीति निर्धारण को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं।

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन निजी कंपनियों (बराबरी के नाम पर) के लिए अपने उधार देने की शर्त के तहत अविनिमयन और उनके लिए प्रमुख भूमिका की मांग करती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के जरिए ऋण देने के लिए 40 में से 12 ऋण आवेदकों के सामने पानी का आंशिक या पूर्णतया निजीकरण, पूर्ण लागत वसूली और अनुदान को समाप्त करने की शर्त रखी। इसी तरह सन 2001 में पानी और सफाई के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत 40 फीसदी ऋण में पानी का निजीकरण करना शर्त था। (सी रामचंद्रैय्या एवं अन्य)

दिल्ली में निजीकरण की कोशिश

सन 1990 से ही दिल्ली में सरकारी अधिकारियों द्वारा जल–वितरण का निजीकरण करने का सतत प्रयास जारी है। इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पानी का उच्च रिसाव और गैर राजस्व पानी (एनआरडब्लयू) दिखाना और यह दावा करना कि पानी का निजीकरण इसे नियंत्रण में लाएगा। यह इस प्रयास को राजनीतिक रुप से स्वीकार कराने की कोशिश है। विश्व बैक, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था (JICA) जैसी कई संस्थाओं ने दिल्ली के जल वितरण का अध्ययन किया और उच्च रिसाव और गैर–राजस्व पानी बताया। जबकि, सूत्रों के अनुसार बोर्ड के LD&I द्वारा किये गये अध्ययन में बताया गया है कि सभी प्रकार के रिसाव सहित कुल वास्तविक हानि 840 MGD में से सिर्फ 0.129 MGD (आपूर्ति 0.015%) है जबकि दिल्ली जल बोर्ड में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था द्वारा रिसाव के कारण कुल अनुमानित हानि 40 फीसदी बताया गया है जोकि पूरी तरह गुमराह करने वाला है।

परिशिष्ट : पृष्ठ संख्या : 31 दिल्ली में पानी का निजीकरण : आंतरिक कहानी (PPT)

पानी के निजीकरण का अनुभव

अधिकतर सार्वजनिक–निजी हिस्सेदारी (पब्लिक–प्राईवेट पार्टनरशिप) वाली कंपनी अपने दावों को पूर्ण करने में नाकाम रही हैं जो उनके पैरोकारों द्वारा किये गये थे। मार्टिन द्वारा विकासशील देशों के 65 से भी ज्यादा पब्लिक–प्राईवेट पार्टनरशिप संविदा के निष्पादन (परफॉर्मेंस) का विश्लेषण चार सूचकों – कवरेज विस्तार, सेवा की गुणवत्ता, परिचालन क्षमता और टैरिफ शुल्क के आधार पर ताजा अध्ययन किया गया

है। यह अध्ययन बताता है कि इनमें सिर्फ कुछ ही अनुबंध एक या दो से ज्यादा मापदंडों के आधार पर संतोषजनक हैं। (मैरी–हेलेन जेराह एवं अन्य)

प्रायः बड़े वित्तीय संसाधन कभी कार्यान्वित नहीं हो सके। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि निजी कंपनी बिना किसी अतिरिक्त निवेश के मौजूदा आधारभूत संरचना वाली सरकार – संचालित कंपनियों को अधिग्रहित कर चलाती हैं। यद्यपि जब निजी जल कंपनी निवेश के लिए उधार लेती है तो उसका बोझ आम लोगों पर डाल दिया जाता है। एक निजी कंपनी द्वारा लिया गया ऋण, सरकारी गारंटी की सार्वजनिक कंपनी से हमेशा ज्यादा होता है। मौजूदा संरचना में ज्यादातर मामलों में उत्तरार्द्ध ऑपरेशन को कर(टैक्स) द्वारा फाइनांस किया जाता है ताकि पूर्ण लागत वसूली के बावजूद पानी के लिए कम कीमत रखी जा सके।

शिवनाथ नदी, छत्तीसगढ़ : राज्य में औद्योगिक विकास के प्रमुख, छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम (सीएसआईडीसी) ने एक गैर–बारहमासी नदी शिवनाथ के किनारे स्थित बोरई औद्योगिक क्षेत्र के जल की जरुरतों की पूर्ति के लिए एक परियोजना की शुरूआत की थी। इस परियोजना के हिस्से के तौर पर नदी के 23.6 किलोमीटर के दायरे को 'रेडियस वाटर' नाम की कंपनी को 22 साल के नवीनीकृत अनुबंध पर सौंप दिया गया था। जिसके तहत कंपनी के पास नदी के उक्त दायरे तक के जल पर पूर्ण एकाधिकार था। बदले में रेडियस वाटर सीएसआईडीसी को जलाभाव के 6 महीने शिवनाथ नदी से जल की आपूर्ति करती थी। इसके आगे भी, रेडियस वाटर का सीएसआईडीसी और जल संसाधन विभाग के साथ एकाधिकृत सौदे में बोरई औद्योगिक क्षेत्र सहित 18 किलोमीटर के त्रिज्या में कुएं के जल स्तर को बनाये रखने को सम्मिलित किया। कंपनी ने तत्कालिक रुप से नदी के उक्त दायरे तक मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्थानीय किसानों द्वारा ट्यूबबेल द्वारा पानी निकालने पर कंपनी पानी की कीमत वसूलती थी। अंत में जनता की मांग और विरोध के आगे झुकते हुए सरकार ने सौदे को रद्द कर दिया था।

बोल्विया : बोल्विया ने सन 1999 में अपने तीसरे सबसे बड़े शहर कोचाबंबा में जल उपतंत्र का निजीकरण कर दिया और इटली स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल कंपनी (इंटरनेशनल वाटर कंपनी) और अमरीका स्थित बशेल को जलतंत्र को चलाने के लिए 40 वर्ष की रियायत इस अनुबंध के आधार पर दे दी कि उपभोक्ता शुल्क डॉलर में ही होगी। अतः हर स्थानीय मुद्रा के गिरावट पर पानी की कीमत बढ़ जाती थी। अनुबंध के तुरंत बाद कंपनियों ने जल की कीमत बढ़ाकर 20 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह कर दी और छत पर बारिश का पानी इकट्ठा करने पर परमिट लगा दिया। हफ्तों तक लगातार और बड़े प्रदर्शनों के बाद सरकार ने निजी कंपनियों के साथ अनुबंध को सन 2000 में रद्द कर दिया। बशेल ने बोल्विया को अनुबंध रद्द करने के कारण न्यायालय में घसीट दिया।

निकारगुआ : इस देश को पूर्व ऋण सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसके ऊपर राजकोषीय मितव्ययिता, चार शहरों (मतागल्पा, जिनोतेगा, चिनांतेगा और लियोन) में जल संसाधनों का निजीकरण और पूर्ण लागत वसूली सहित कई संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम थोप दिये। मतागल्पा और जिनोतेगा में, जहां निजीकरण को लागू किया गया था, आवासीय ग्राहकों के लिए पानी का मूल्य 30 फीसदी बढ़ गया, जिसने जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। यह कीमत में बढ़ोत्तरी से 30 दिन के पूर्व नोटिस और पांच साल के लिए तय जल शुल्क के मौजूदा कानून का उल्लंघन था। जनता के विरोध के कारण निकारगुआ की नेशनल एसेंबली ने अगस्त 2002 में सर्वसम्मति से एक बिल पारित

किया, जिसमें पानी के इस्तेमाल में निजी लाभ कमाने को निलंबित कर दिया गया। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में राष्ट्रपति ने बिल पर तत्काल वीटो लगा दिया।

जल क्षेत्र के साथ समस्याएँ

निवेश की कमी : सरकार को इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरुरत है, विशेषकर जलापूर्ति के घरेलू उपायों को पूरा करने के लिए। अपने नागरिकों को समुचित मात्रा और उत्तम गुणवत्ता का जल उपलब्ध कराने में सरकार की नाकामी का यह अकेला अति महत्वपूर्ण कारण है। जल उपयोगिता वाली सार्वजनिक कंपनी के बजटीय सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिए। जल के अधिकार को जीवन के अधिकार के तौर पर पहचान करने का मतलब होगा, इस क्षेत्र में निवेश को सरकार के अन्य सभी गैर–आवश्यक खर्चों के ऊपर प्राथमिकता देना।

पानी के नियमन के लिए भिन्न दृष्टिकोण : अलग–अलग दृष्टिकोण के कारण भारत में जल सेक्टर को कई प्राधिकारों द्वारा वर्गीकृत किया गया है। जबकि अलग राष्ट्रीय जल नीति, प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में बेहतर प्रबंधन की बात कहता है। लेकिन इस नियम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया।

> .....जल संसाधन मंत्रालय भारत में जल के लिए प्रमुख उत्तरदायी संस्था है लेकिन जल प्रदूषण इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता और न ही उद्योगों द्वारा पानी का इस्तेमाल। उसी तरह उद्योग मंत्रालय उद्योगों के इस्तेमाल के लिए जल संसाधन की योजना और विकास से संबंधित है। यह जरुरी नहीं है कि उद्योगों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले जल को नियंत्रित या विनियमित किया जाये। देश में भूजल के गुणवत्ता और मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड (CGWG) है। उसके लिए जरुरी नहीं है कि उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भूजल के लिए कीमत वसूले। जबकि CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB's) औद्यौगिक जल प्रदूषण को नियंत्रित करती है और कंपनियों द्वारा छोड़े गये बेकार जल की मात्रा पर पानी उप–कर लगाती है लेकिन इनके पास विभिन्न स्त्रोतों से निकाले जाने वाले जल को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके परिणाम स्वरुप जल संचयन और प्रदूषण नियंत्रण मानक विशेष सफलता नहीं दिखाते। (अग्रवाल एवं अन्य)

स्थानीय स्तर पर भागीदारी की कमी

संवैधानिक स्टेटस (73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा) के बावजूद स्थानीय सरकार को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में आवश्यक शक्ति और दायित्व नहीं दिया गया है। जिसके परिणामस्वरुप सरकारी तंत्रों द्वारा ज्यादातर सार्वजनिक संपत्तियों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय जल नीति (एनडब्लयूपी) 2012 का प्रारुप यह कहता है कि भारतीय विलासिता अधिनियम 1882 (Indian Easement Act, 1882) में संशोधन के जरिए भू–मालिकों से भूजल के अधिकार को ले लिया जाय। मगर ऐसा करना प्रकृति के संविधान के अनुरूप नहीं होगा। माना कि मनुष्य तो पानी खरीद सकता है, पर क्या पृथ्वी पर मौजूद पशु–पक्षी, पेड़–पौधे भी पानी खरीद पायेंगे? यदि मनुष्य ने इनकी अधीनता को समाप्त किया, तो क्या मनुष्य अपनी अधीनता बचा पाएगा?

अध्याय –III

पानी की कमी को पूरी करने की रणनीति

परिरक्षण एवं संरक्षण : सबकी जिम्मेदारी

जनसंख्या वृद्धि, तेजी से बढ़ता शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के साथ ही पानी की मांग भी बढ़ रही है। जिससे पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा ऐसे बहुत से अज्ञात कारण हैं जिनसे जलवायु परिवर्तन होता है और जल की आपूर्ति प्रभावित होती है। हमें ऐसी बातों पर भी ध्यान देने की जरुरत है। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों, जो पानी से जुड़े हैं और इसके उपभोगताओं से जुड़ें हैं, को ध्यान में रखने की जरुरत है।

कृषि में जल मांग का प्रबंधन : जनसंख्या वृद्धि और खाद्य जरुरतों को पूरा करने के लिए सन 2050 तक कृषि उत्पादन को दुगना करने की जरुरत है। तब समान्यतः उद्यमिता की दृष्टिकोण से आवश्यक पानी की मात्रा भी दुगनी होगी। जो साफ तौर पर बनाए रखना संभव नहीं है। अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाय तो इसमें जल उपयोगिता की मांग में अनुमानित वृद्धि सिर्फ 45 प्रतिशत है। ऐसे में कुछ मांग–प्रबंधन होने की उम्मीद है। भारत में कृषि क्षेत्र पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, इसलिए इस क्षेत्र को तर्कसंगत पानी का इस्तेमाल करने की जरुरत है। सिंचाई क्षेत्र में पानी का कुशल इस्तेमाल की एक छोटी सी सुधार, पानी की समुचित मात्रा को बचाएगा, जो सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने या दूसरे क्षेत्र की जल जरुरतों को पूरा करने के काम आएगा। इसे हासिल करने के लिए उपयुक्त फसल पद्धति, कुशल जल–प्रवाह और इस्तेमाल विधि विकसित करने की जरुरत है। नई खेती की पद्धति, जैसे चावल सघनता प्रणाली एवं इसका अन्य फसलों तक विस्तार और नई सिंचाई पद्धति जैसे ड्रिप एवं फव्वारा का प्रोत्साहन होना चाहिए। ज्वार, बाजरा, रगी जैसे पानी की खपत कम करने वाले एवं जनसंख्या के एक बड़े हिस्से द्वारा खाद्य के रुप में इस्तेमाल किये जाने वाले, इन मोटे अनाजों को एक बार फिर से प्रचलित करने की जरुरत है।

भारत जैसे विविधता वाले देश में पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन निम्नतम दृष्टिकोण के साथ नहीं लिया जा सकता। समुदायों द्वारा प्रस्तुत किये गये अधिकार एवं सशक्तिकरण तंत्र की परंपरागत प्रणाली निम्नस्तरीय कानूनों द्वारा अनावश्यक बना दी गयी है। जबकि स्थानीय नेताओं एवं संस्थाओं ने वर्षा जल संचयन के तहत अनेकों सफल कार्यक्रमों द्वारा दिखाया है कि लागत बाधा नहीं है एवं स्थानीय समुदाय ने नकद या श्रम के रुप में व्यक्तिगत योगदान द्वारा पूरी राशि को एकत्र किया है। बोझिल प्रक्रिया एवं किराया चाहत तत्वों की अनुपस्थिति में स्थानीय समुदाय बहुत कम लागत में उच्चतम गुणवत्ता के साथ निर्माण कर सकते हैं। इस तरह के उपायों द्वारा प्रदान किए गए तत्काल समाधान ने ऐसे निवेशों को बहुत ही आकर्षक बनाया है और स्थानीय समाज ने इन फायदों को तत्काल उठाया भी है। अतः ऐसे

स्थानीय स्तर के संस्थानों को सिंचाई सेवा और समान्य संपत्ति संसाधनों जैसे चारागाह एवं छोटे और बड़े जंगल बढ़ाने वाले मंच के रुप में देखे जाने की जरुरत है।

संवैधानिक (73वां संशोधन) ऐक्ट 1993 ने स्थानीय स्व–शासन के लिए तीन स्तरीय पंचायती राज ढ़ांचा बनाया है। जिसमें ग्राम–पंचायत स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की ग्रामीण स्तर की संस्था है। ग्रामसभा (जेनरल विलेज एसेंबली) जो ग्राम पंचायत का अविभाज्य हिस्सा है, एक ऐसा फोरम है जहां ग्रामीण अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों को ले सकते हैं। लेकिन अधिकारों के हस्तांतरण के बावजूद व्यवहार में राज्य कार्याधिकारी सर्वोच्च हैं और 73वां संशोधन के बाद भी शायद ही उनकी शक्ति में कोई कमी आई है। राज्य बजट से पोषित प्रस्ताव को सरकारी अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और बिना किसी विचार–विमर्श आदि के ग्राम पंचायत पर थोप दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत नौकरशाही की निचली कड़ी बन गयी है और आम आदमी के सशक्तिकरण में यह पूर्णतरू प्रभावी नहीं है। लेकिन यदि अनुदानों के लिए करार नहीं होते हैं और ग्रामसभा को उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सशक्त बनाया जाता है, तब जरुरतों की पहचान और उसके कार्यान्वयन में ये ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं।

अनियंत्रित शहरीकरण – समस्या का कारण

हमें यह समझने की जरुरत है कि जल स्थानीय संसाधन है। उपभोग की आदतें और संरक्षण की संस्कृति उसके अनुसार विकसित करनी होगी। हमें नदी के न्यूनतम प्रवाह आवश्यकताओं और उसके पारिस्थितिकी को महत्व देना होगा। हमें स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों को समझना व उनका मूल्यांकन करना होगा और उनके आसपास संरक्षण की संस्कृति विकसित करनी होगी।

आज दिल्ली 60 प्रतिशत से ज्यादा पानी की आपूर्ति आयातित स्रोतों से करती है। यह मुख्यतरू यमुना, सतलुज–व्यास और गंगा, तीन नदियों से जल प्राप्त करती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे तटवर्ती राज्य पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं और इन क्षेत्रों में जल स्तर की भारी कमी देखी जा रही है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) इन क्षेत्रों में कई जिलों को गिरते जलस्तर के कारण 'ग्रे जोन' घोषित कर चुका है। दूसरी तरफ, दिल्ली अपने भूजल को इसके वार्षिक पुनर्भरण से 1.7 गुणा ज्यादा ले रहा हैं। (स्त्रोत : वॉटर मोजैक ऑफ दिल्ली– दीवान सिंह, यूनेस्को के लिए अध्ययन)। अतः दिल्ली का जल स्तर भी तेजी से नीचे गिर रहा है। आज दिल्ली का शहरीकरण इसकी वहन क्षमता से बहुत ज्यादा हो चुका है।

भारी मात्रा में पानी का दूर दराज के स्थानों पर स्थानांतरण, मानव विकास को ऊँचाई के बदले अस्थायी स्तर पर ले जा रहा है। यह सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता है – पानी को स्थानीय संसाधन के रुप में इज्जत देना। कम से कम किसी क्षेत्र में पानी की जरुरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत ही आयात की मांग कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, यदि दिल्ली इस नियम का पालन करती तो इसे बाढ़ के दर्द से छुटकारा मिल गया होता और इसके जल निकायों और वर्षा जल संचयन को उत्साही ढ़ंग से अपनाया गया होता। साथ ही यह अपनी सीमा से ज्यादा शहरीकृत नहीं होता, जो इस समय हो रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम यह होता कि दिल्ली

कम–से–कम गंदा पानी का प्रवाह करती। आज मथुरा और वृंदावन यमुना के स्वच्छ पानी में सांस्कृतिक रुप से जीवित होते और हरियाणा, यू.पी. के बहावयुक्त किसान कम–से–कम दूषित अनाज और सब्जी उगाते। आज हरियाणा उस युद्धात्मक रवैया को नहीं अपनाता जो अभी अपनाने के लिए उसे बाध्य होना पड़ रहा है। दिल्ली का वायु और जल पर्यावरण ज्यादा सुरक्षित होता। दिल्ली की स्वास्थ्य लागत कम होती और पर्यावरणीय विनाश और बांध बनाने के लिए सामाजिक लागत कम होती। क्योंकि जहां बांध बनाने का सामाजिक दबाव कम होता वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जल सुरक्षा ज्यादा बेहतर होती। इस तरह अनेक फायदे होते। मानव विकास एवं वृद्धि की हमारी अंधश्रद्धा ने हमें मूर्खतापूर्ण गलतियां करने को विवश किया। हम भूल गए कि जल एक स्थानीय संसाधन है।

जल संरक्षण के स्वदेशी तरीकों का पुनरुद्धार

भारत के पास पानी संचयन तकनीक की समृद्ध विरासत रही है और आधुनिक विज्ञान से युक्त इन तरीकों द्वारा इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन एक विधि है जिसमें पानी को मिट्टी में वापस डाला जाता है जहां वो जमीन के नीचे नदियों और जलाशयों में संग्रहित होता है और जरुरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरों में वर्षा जल संचयन के तहत वर्षा के पानी को छत पर बने बड़े–बड़े टैंकों में इकट्ठा किया जाता है, जिसे जरुरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है।

ब्रिटिश उपनिवेश के बाद भारत द्वारा ली गई कई नई जल एवं वितरण प्रणालियों की विफलताओं और कमियों के परिणामस्वरुप अब फिर स्थानीय लोगों ने पारंपरागत वर्षा जल संचयन के पुनरुद्धार पर आधारित नए वैकल्पिक समाधान के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, जिसने आर्थिक रुप से पिछड़े कुछ ऐसे क्षेत्रों को प्रचुरता से लबरेज क्षेत्र में तब्दील कर दिया है।

वर्षा जल संचय जैसे पारंपरिक पद्धति के अनेक फायदे हैं। इसके पास ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी और बेरोजगारी का समाधान उपलब्ध कराने की पूरी संभावना है जो अंततः अर्थव्यवस्था को प्रोन्नत करेगा। ये उच्च कृषि विकास दे सकता है, इनकी स्थापना और रख–रखाव लागत भी लाभदायक है और ये अत्यधिक टिकाऊ भी हैं।

परंपरागत जल संचयन संरचना जैसे तालाब, कुआँ, बावली आदि का पुनर्रुद्धार और बेहतर इस्तेमाल कर विभिन्न स्थानिक और लौकिक उपलब्धता में सुधार किया जा सकता है, जो कि वर्तमान जलनीति व्यवस्था के अंतर्गत उपेक्षित हो चुका है। इसकी वजह से न सिर्फ सूखे मौसम में पानी की उपलब्धता कम हुई है बल्कि बरसात के मौसम में सतही बहाव की वजह से बाढ़ का खतरा भी पैदा हुआ है। स्थानीय स्तर तक पानी की निषिद्धता, वितरण लागत को कम और भूजल स्तर को बढ़ाएगा। बड़े जल परियोजनाओं की भूमिका जल वितरण को बढ़ाना है लेकिन इन्हें कपटपूर्ण रवैयों से परंपरागत संरचनाओं और नवीनताओं को नहीं मिटाना चाहिए। निम्नलिखित परंपरागत तरीकों से जल संग्रहित हो सकता है और इन पर गौर करने की जरुरत है :

टंकियाँ : टंकियाँ भूमिगत होती हैं जो पारंपरिक रुप से बिकानेर के ज्यादातर घरों में मिलती हैं। ये मुख्य घर या आंगन में बने होते हैं। चूने से पॉलिश किए हुए जमीन में बने वृत्ताकार छिद्र में वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता था। प्रायः टंकियाँ टाईल्स से सुंदरता के साथ अलंकृत होती थी, जो पानी को ठंडा रखने में मदद करती थीं। ये पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यदि किसी साल कम वर्षा के कारण ये टंकियाँ नहीं भरती थीं तब नजदीकी कुएँ से पानी लाकर इस घरेलू टंकियों को भरा जाता था।

खादिन : खादिन जो ढ़ोरा भी कहलाता है, एक सरल संरचना होती है। जिसे सतह पर बहने वाले पानी को संरक्षित कर कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी प्रमुख विशेषता टीलों के निचली ढ़लानों तक बने 100 से 300 मीटर लंबे मिट्टी के तटबंध हैं। इसमें जलद्वारों और नालियों द्वारा अतिरिक्त पानी बह जाता है। खादिन प्रणाली कृषि भूमि पर वर्षा जल संचयन के सिद्धांत पर आधारित है और इस जल संतृप्त भूमि का इस्तेमाल अनाज उत्पादन के लिए किया जाता है।

वाव / वावड़ी / बावली / बावड़ी : पारंपरिक सीढ़ीनुमा कुएं को गुजरात में 'वाव' या 'वावड़ी', राजस्थान और उत्तर भारत में 'बावली' या 'बावड़ी' कहा जाता है। यह राजनीति और परोपकार के लिए प्रायः कुलीन लोगों द्वारा बनायी जाती थी। इसकी संरचना धर्मनिरपेक्ष होती थी ताकि कोई भी व्यक्ति पानी का इस्तेमाल कर सके। उनमें से ज्यादातर आज मृतप्राय हैं।

कुएं का स्थान प्रायः ऐसे रास्ते होते थे जिनका इस्तेमाल ज्यादातर होता था। जब कुआं गांव या गांव के किनारे में स्थित होता था तब इसका इस्तेमाल मुख्तया किसी खास उपयोगिता या सामाजिक सम्मेलन के लिए ठंडे जगह के तौर पर होता था। जब कुआं गांव के बाहर स्थित होता था तब व्यापार करने वाले राहगीर इस जगह को आराम करने के स्थान के तौर पर इस्तेमाल करते थे।

आहर / पाइन : आहर एक तालाब की तरह है जो तीन तरफ से तटबंधित होता है, चौथा दिशा स्वयं प्राकृतिक ढ़ाल की तरह होता है। आहर क्षेत्र का इस्तेमाल खरीफ फसल (गर्मी में उगने वाला फसल) के उपरांत अतिरिक्त पानी निकलने के बाद रबी फसल (जाड़े में पैदा होने वाला फसल) उगाने के लिए होता है।

पाइन कृत्रिम रुप से बनाए हुए नहर होते हैं जो नदी के पानी को कृषि भूमि में उपयोग करने के लिए इकट्ठा करने के लिए होते हैं। पाइन, नदी से शुरू होकर खेतों के भूल भूलैया से होते हुए आहर में मिल जाता है। ज्यादातर पाइन नदी के 10 किलोमीटर के दायरे में होते हैं और इनकी लंबाई 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती।

औद्योगिक अपशिष्ट जल का पुनर्प्रयोग : भारत में उत्पादन में औद्यौगिक संचालन के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी, अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में होता है। शायद अप्रचलित तकनीक का इस्तेमाल इसकी एक मुख्य वजह है। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण कारण है पानी का असंतुलित उपयोग। जब पानी का मूल्य नगण्य था, ये निर्वहन मापदंडों को पूरा करने के लिए ताजे पानी का इस्तेमाल अपशिष्ट पानी को पतला करने के लिए करते थे। (अग्रवाल एवं अन्य 2011)।

उद्योगों को उपचार उपकरणों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और जल उपभोग में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हालांकि ये कुल उपलब्ध पानी के बहुत अधिक मात्रा का उपभोग नहीं करते, फिर भी आने वाले वर्षों में पानी की औद्योगिक मांग तेजी से बढ़ने जा रही है। अतः बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पानी बचाना बहुत ही मददगार होगा।

नाला शोधन : यह एक बड़ा क्षेत्र है जिसे तुरंत ध्यान देने की जरुरत है। भारत के बड़े शहरों द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले गंदे पानी (38,254 मिलियन लीटर प्रतिदिन) का 30 प्रतिशत से भी कम हिस्सा निबटाने से पहले शोधन के लिए जाता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के नियमों के अनुसार, शहर और नगरों की नगरपालिका/नगर निगम या जल प्राधिकरण का यह दायित्व है कि उसके क्षेत्राधिकार में निकले 100 प्रतिशत गंदे पानी को इकट्ठा करे और उसका शोधन करे। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉर्नमेंट– सीएसई) के एक अध्ययन के अनुसार कुल निकले गंदे पानी का सिर्फ 19 प्रतिशत हिस्सा स्थापित संयंत्र में जाता है जबकि इसके 72 फीसदी उपयोग की बात कही जाती है (सीएसई 2010)। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2007 के नमूना सर्वे के अनुसार वर्तमान गंदा पानी शोधन संयंत्र के परफॉर्मेंस में सिर्फ 10 फीसदी को अच्छा और 54 फीसदी को घटिया और बहुत घटिया वर्ग में रखा है (पत्रिका हिंगोरानी, आईआईआर 2011)। भारत में प्राचीन काल से इन गंदे पानी के प्रबंधन की बहुत अच्छी परंपरा रही है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं के पुरातात्विक उत्खनन में देखा जा सकता है। शहरी जीवन की इस गंभीर चुनौती के बारे में लोगों और सरकार के बीच जागरुकता बढ़ानी है।

अध्याय – IV

राष्ट्रीय जल नीति : आलोचनात्मक विश्लेषण

सरकार ने पहली बार सन 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की। इस नीति की आवश्यकता निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की गई है :

''जल एक दुर्लभ एवं बहुमुल्य राष्ट्रीय संपदा है जिसे राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से योजनाबद्ध, विकसित और संरक्षित रखने की जरुरत है।''

सन 1987 की राष्ट्रीय जल नीति, जल परियोजनाओं के समय और अतिरिक्त लागत की बात करती है। सिंचाई परियोजनाओं का निम्नतर इस्तेमाल सिंचाई क्षेत्र में जल जमाव और लवणता की समस्या उत्पन्न करता है। इन मुद्दों पर ध्यान देने की जरुरत है। ये मुद्दे कायम हैं और सन 2002 के राष्ट्रीय जलनीति व राष्ट्रीय जलनीति के ड्राफ्ट 2012 में भी मात्र उल्लेखित हैं। इन जल नीतियों में इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।

	राष्ट्रीय जल नीति 1987	**राष्ट्रीय जल नीति 2002**	**विचाराधीन राष्ट्रीय जल नीति 2012**
पेयजल	सन 1991 तक समस्त जनता तक पहुंचाना	इस मुद्दे पर कोई बात नहीं	इस मुद्दे पर कोई बात नहीं
निजी क्षेत्र की भूमिका	कोई उल्लेख नहीं	हाँ	हाँ
मूल्य निर्धारण	ठीक रखरखाव एवं संचालन हेतु विभिन्न उपयोगकर्ताओं से खर्च एवं पूँजी लागत का हिस्सा वसूली	ठीक रखरखाव एवं संचालन हेतु विभिन्न उपयोगकर्ताओं से खर्च एवं पूँजी लागत का हिस्सा वसूली	पूर्ण लागत वसूली
स्वायत्तशासी जल नियामक प्राधिकरण (जल–मूल्य निर्धारण के लिए)	नहीं	नहीं	हाँ

उसी तरह नीतियां भूमि और जल उपयोग एवं 'वाटर जोनिंग' के बीच सामंजस्य की बात करती हैं लेकिन इन्हें लागू करने के लिए कुछ नहीं किया गया। इसे लागू करने के लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय और राजनीतिक इच्छा–शक्ति की जरुरत है। प्राकृतिक बंदोबस्ती के साथ अनाजों के संगत पैदावार के लिए जल उपयोग और भूमि उपयोग के मिलान को प्रोत्साहन जरुरी है। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा के लिए धान अनुपयुक्त है लेकिन इसे अन्य फसलों की अपेक्षा बेहतर समर्थन मूल्य मिलने की वजह से उपजाया जाता है और यह अंतर साल दर बढ़ता जा रहा है।'वाटर जोनिंग' पानी की उपलब्धता और इस्तेमाल के आधार पर उद्योगों के क्षेत्र को नियंत्रित करेगा। लेकिन यह भी लागू नहीं हो रहा है।

राष्ट्रीय जल नीति 2002 में पहली बार जल क्षेत्र में निजी भागीदारी की संभावना की बात की गयी है। इस अधिनियम का अनुच्छेद 13 निजीकरण के पक्ष में तर्क देते हुए कहता है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से नए विचारों की शुरूआत, वित्तीय संसाधनों का सृजन, कॉपोरेट प्रबंधन का आरंभ, सेवा दक्षता में सुधार और उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेही के सूत्रपात में मदद मिलेगी।

पूरे देश में जल आंदोलन और न्यायिक कथन के परिणामस्वरुप शायद सरकार ने जल के लिए ''Doctrine of Public Trust (जनविश्वास का सिद्धांत)'' को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय जलनीति ड्राफ्ट 2012 के अनुच्छेद 1.3 (4) और (5) पहली बार कहता है कि :

''जनविश्वास सिद्धांत के तहत सबके लिए खाद्य सुरक्षा, जीवकोपार्जन और न्यायोचित एवं स्थिर विकास प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा नियंत्रित पानी को समुदायिक संसाधन के रुप में प्रबंधन करने की जरुरत है''

''साफ एवं सुरक्षित पेयजल एवं सफाई तक पहुंच को मानवाधिकार एवं जिंदगी की पूर्ण खुशहाली के अधिकार के तहत सम्मिलित होना चाहिए। मानवीय जरुरतों के लिए पानी की उपलब्धता अन्य उपयोगिताओं के बदले पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।''

भूजल पर जमीन मालिकों के संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करना, सामान्य जन के लिए पानी की उपलब्धता के विचार के साथ संघर्ष है। ड्राफ्ट का अनुच्छेद 2.2 आगे कहता है.....

''.....भारतीय सुविधा अधिनियम 1882 शायद इस तरह संशोधित किया गया है कि यह जमीन मालिक को उसके जमीन के अंदर के पानी पर मालिकाना हक दिलाता है।''

फिर भी ड्राफ्ट नीति विरोधाभासी है। पानी को जन विश्वास एवं मौलिक अधिकार के रुप में चिन्हित करने की शुरूआत के साथ ही पानी को आर्थिक मूल्यांकन प्रदान करता है। ड्राफ्ट, पानी में व्यापारिक अधिकार की पहचान करने का प्रस्ताव करता है। अनुच्छेद 3.3 के अनुसार....

''मानव मात्र एवं पारिस्थितिकी के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक पानी की न्यूनतम मात्रा की पूर्ति के बाद टिकाऊ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को समर्थित आवश्यक जीवकोपार्जन के लिए पानी का आर्थिक सामान के तौर पर अवश्य उपयोग होना चाहिए।''

अतः सरकार को उम्मीद है कि पानी में व्यापारिक अधिकार उत्पन्न होगा, जहां मांग और पूर्ति का मिलान मूल्यों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कम भुगतान क्षमता वाले उपयोगकर्ता की अपेक्षा उच्च भुगतान क्षमता वाले उपयोगकर्ता उसे पहले प्राप्त करेंगे। उम्मीद है काफी विरोध के बाद इस नीति में गरीबों के लिए जीवन–यापन की प्राथमिकता एवं खाद्य सुरक्षा के प्रावधान के बाद यह पॉलिसी ज्यादा स्वीकार्य हो।

राज्य, सेवा प्रदाता से सेवा नियामक (अनुच्छेद 13.4) बनना चाहती है, जहां यह जल संबंधी सेवाओं के लिए विधानों एवं दिशा–निर्देशों के साथ ''समुदाय और/या निजी क्षेत्र को उपयुक्त हस्तांतरण'' के आधार पर पब्लिक–प्राइवेट मॉडल के तहत लाना चाहती है।

इस ड्राफ्ट में बाजार तंत्र का इस्तेमाल कर पानी का आवंटन करने का साफ पूर्वाग्रह दिखता है। इसकी कीमत गरीब और कमजोर लोगों को चुकानी होगी जो पानी के लिए अमीरों द्वारा दी जा रही रकम की बराबरी नहीं कर सकते।

अध्याय – V

हमारी मांगें :

1. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए 'जीवन का अधिकार' के अनुसार सभी नागरिकों को शुद्ध एवं साफ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
2. भारत सरकार द्वारा पेश किये गये 'राष्ट्रीय जल नीति, 2012' के ताजा मसौदे में उल्लेखित पानी का निजीकरण संरक्षक की अवधरणा के विरुद्ध और गरीब विरोधी है। यह निश्चित रुप से समाप्त किया जाना चाहिए।
3. एकीकृत जल संसाधन योजना का स्थानीय स्तर पर भौगोलिक सूचना तंत्र (Geographic Information System & GIS) और सुदूरवर्ती संवेदन (Remote Sensing – RS) जैसे आधुनिक तकनीक और उनके पारंपरिक ज्ञान के आधार पर सशक्तीकरण होना चाहिए।

''सरकारों एवं सरकारी प्रक्रियाओं में लोकतंत्र के मौलिक आलेख का प्रतिरोध ही विफलता का कारण है। अर्थात् सभी अधिकार एवं शक्तियां जनता से मिलती हैं और सभी सार्वजनिक संस्थान सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए होती हैं.....''

– संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग

References

National Water Policy 1987, Ministry of Water Resources, GoI

National Water Policy 2002, Ministry of Water Resources, GoI

Draft National Water Policy 2012, Ministry of Water Resources, GoI

Industrial Water Demand in India: Challenges and Implications for Water Pricing by Suresh C Aggarwal and Surender Kumar, India Infrastructure Report (IIR) 2011.

The Economics of Municipal Sewage Water Recycling and Reuse in India by Pritika Hingorani, IIR 2011.

Water Rights and the 'New' Water Laws in India: Emerging Issues and Concerns in a Rights Based Perspective by Videh Upadhyay, IIR 2011.

Rethinking Services in Transformation by Marie-Helen Zerah and Sylvy Jaglin, IIR 2011

Waterportal.org

Running on Empty: India's Water Crisis Could Threaten Prosperity by South Asia Monitor Resisting Water Privatisation, Building Water Democracy by Dr. Vandana Shiva

Urban Water Supply in India: Status, Reform Options and Possible Lessons by David McKenzie and Isha Ray

Water Privatisation and Implications in India by Association for India's Development

Water Privatisation, Corruption and Exploitation by Public Services International

Are the Debates on Water Privatisation Missing the Point? Experiences from Africa, Asia and Latin America by Jessica Budds and Gordon McGranahan

New Policy Framework for Rural Drinking Water Supply: Swajaldhara Guidelines by Philippe Cullet (Economic and Political Weekly, 2009)

National Water Policy: An Alternative Draft for Consideration by Ramaswamy R Iyer (EPW June 2011)

Water Democracy: Reclaiming Public Water In Asia

Basic Water Requirement ofr Human Activities: Meeting Basic Needs by Peter H. Gleick, M. IWRA

Report of the National Commission to Review the Working of the Constitution

Right to Drinking Water in India by C. Ramachandraiah.

परिशिष्ट

Table 1 : Water Availability

Sl. No	Items	Quantity
1	Annual Precipitation (including snowfall)	4000 bcm
2	Average Annual Availability	1869 bcm
3	(i) Per Capita Water Availability (2001) in cu.m	1816 cu.m
	(ii) Per Capita Water Availabilit y (2010) in cu.m	1588 cu.m
4	Estimated Utilizable Water Resources	1123 bcm
	(i) Surface Water Resources	690 bcm
	(ii) Ground Water Resources	433 bcm

Source: Central Water Commission

Table 2 : Water Demand

(By Different Use)

Sector	Water Demand in Km^3 (or BCM)								
	Standing Sub-Committee of MOWR			NCIWRD					
	2010	2025	2050	2010		2025		2050	
				Low	High	Low	High	Low	High
Irrigation	688	910	1072	543	557	561	611	628	807
Drinking Water	56	73	102	42	43	55	62	90	111
Industry	12	23	63	37	37	67	67	81	81
Energy	5	15	130	18	19	31	33	63	70
Other	52	72	80	54	54	70	70	111	111
Total	**813**	**1093**	**1447**	**694**	**710**	**784**	**843**	**973**	**1180**

Source: Basin Planning Directorate, CWC, XI Plan
Document.
Report of the Standing Sub-Committee on "Assessment of Availability & requirement of Water for Diverse uses -2000"
Note: NCIWRD: National Commission on Integrated Water Resources Development
BCM: Billion Cubic Meters
MOWR: Ministry of Water Resources.

Table 3 : Industrial Water Use Productivity, 2000

Country	Industrial value added(IVA), 2001 (in billion constant 1995 US$)	Industrial water use, 2000 (km^3/year)	Industrial water productivity (IWP), 2000 (US$ IVA/m^3)
Japan	1890	16	119.62
Korea, Republic of	286	3	93.66
UK	340	7	47.28
The Netherlands	120	5	25.17
Germany	748	32	23.43
USA	2148	221	9.73
China	594	162	3.67
India	120	35	3.42

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and World Water Assessment Programme (WWAP) (2006) as cited in Van-Rooijen et al. (2008).

Table 4 : Sewage recycle

Waste water treatment capacity in urban areas in India, 2008

Category	No. of cities	Total water supply (in MLD)	Wastewater generation (in MLD)	Treatment capacity (in MLD)
Class-I city	498	44,769.05	35,558.12	11,553.68 (32%)
Class-II town	410	3,324.83	2,696.7	233.7 (8%)
Total	908	48.093.88	38,254	11787.38 (31%)

Source : CPCB (2008).
MLD : Million Litres Daily.

जल पर मसौदा–पत्र के लिए हुई परिचर्चा में शामिल सहभागी

4 फरवरी 2012, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली

1. वाहिद सिद्दीकी – अहिंद युवा संघ
2. प्रवीण कांत – समर्थ शिक्षा समिति
3. डी. एस. बिन्द्रा – जनचेतना मंच
4. राजेन्द्र बिस्टा – एसएसएस समित, अल्मोड़ा
5. मो. निजामुद्दीन – हम हिंदुस्तानी
6. राजकुमार गुप्ता – परिवर्तन
7. अनिल शर्मा – भारतीय विट्टा सलाहकार समिति
8. अवधेश कुमार उपाध्याय – उर्जा
9. चौधरी राम करण – प्रधान, 360 ग्राम, पालम
10. दीवान सिंह – नेचुरल हेरिटेज फर्स्ट
11. राजेश – नेचुरल हेरिटेज फर्स्ट
12. डॉ. अनिल कुमार त्यागी – प्रेरणा, नोएडा
13. अनिल कुमार – मेट्रो
14. मयंक त्यागी – ग्रेट माई वाटर
15. संजय शर्मा – पर्यावरण, नोएडा
16. अनिल सूद – चेतना
17. अशोक कुमार सिंह – एकता परिषद
18. मनोज मित्तल – इंजिनियर्स इंडिया
19. गोपाल अग्रवाल – जलाधिकार
20. कैलाश गौदुका – जलाधिकार
21. ज्योति झा – स्वयंसेवक
22. दीपक रावत – स्वयंसेवक
23. सोनाली अग्रवाल – स्वयंसेवक
24. संभ्रांत कृष्ण – स्वयंसेवक
25. दिनेश शर्मा
26. योगेश अंडले
27. डॉक्टर सर्वजीत
28. इला कुमार
29. रेवती राव
30. सुधा राव
31. प्रो. एम. बी. राव
32. प्रदीप शुक्ला
33. मो. निजाम
34. गुफरान खान
35. सायरा खान
36. तनवीर वानी
37. राजकुमार बंसल
38. कुमार विक्रम
39. प्रकाश गौड़
40. विपुल पचौरी
41. प्रवीण शर्मा